हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नेनाराम तरड़ बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बावड़ी)

सू.अ.अ. अपील संख्या 28/2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नेनाराम तरड़ पता ग्राम नान्दिया जाजड़ा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.01.18 में उसके द्वारा (1) ग्राम नान्दिया जाजड़ा खसरा नम्बर 203 व 393/3 की गत 40 वर्षो की गिरदावरी प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बावड़ी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बावड़ी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बावड़ी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बावड़ी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।